इस्लाम में औरतों का दर्जा

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द

(1)

आज जबकि माद्दी तरक़्क़ियाँ और साइंसी पेशरफ़्त आँखों को चकाचौंध और दिलों को मुसख़्ख़र कर रही है बाज़ दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम को बदनाम करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जिसका शिकार इस्लाम की सतही मालूमात रखने वाले कुछ मुसलमान भी हो जाते हैं। प्रोपगण्डा ये है कि इस्लाम तरक़्क़ी का मुख़ालिफ़ है, ख़ुसूसियत से ख़वातीन की तरक़्क़ी का, इस्लाम ने ख़वातीन को उनके हुक़ूक़ से महरूम कर दिया है और उनके एहतेराम का क़ायल नहीं है। हक़ीक़त इसके बिल्कुल ख़िलाफ है। अकेला इस्लाम वह दीन है जिसने पहली बार औरत को उसका वाक़ई दर्जा अता किया और यही वह दीन है जो उसके जुमला हुक़ूक़ का ज़ामिन है।

इस्लाम के तमाम क़वानीन की बुनियाद अदालत है और अदालत के माने हैं हर चीज़ को उसके मक़ाम पर रखना जिसके वह लायक़ है और हर एक को वह हक़ देना जो हर एक के लिए मुनासिब है। तारीख़ को देखने से अन्दाज़ा होता है कि इस्लाम से पहले और रिसालतमाआब[स०] की बेअ्सत के वक़्त औरतों की कितनी बुरी हालत थी और दीने इस्लाम ने किस तरह उनको अज़्मत अता की और उन्हें इज़्ज़त की मेराज पर पहुँचा दिया। औरतों की हालत जानवर से बदतर थी। उनको ख़रीदा और बेचा जाता था। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर उन्हें हंसने का हक़ भी न था। रूमी समाज में औरतों का शुमार इन्सानों में नहीं होता था। उनका शुमार ख़रीदने बेचने वाली चीज़ों में किया जाता था। उनको मिलकियत का हक़ हासिल न था। अरब में लड़कियों का ज़िन्दा दफ़न कर देना तो हर ज़बान पर है।

इस्लाम में औरतों की क़द्रो मंज़िलत का सुबूत इस से बढ़कर और क्या होगा कि क़ुरआन मजीद की दस सूरतों में औरतों के हुक़ूक़ और उनकी बड़ाई से मुताल्लिक़ मसाएल बयान हुए हैं। इसके अलावा क़ुरआन मजीद ने जगह-जगह औरतों और मर्दों को यकसाँ तरीक़े से मौरिदे ख़िताब क़रार दिया है। इस तरह से इस इलाही किताब ने इस्लाम के मुख़ालिफ़ीन के इस शक को पूरी तरह रद कर दिया है कि इस्लाम औरतों के हुक़ूक़ का क़ायल नहीं है।

इस्लाम से पहले दुनिया की किसी भी तहज़ीब में औरत की हैसियत वाक़ई उसके वजूद की अहमियत और उसकी इज़्ज़त और हुरमत और हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त के लिए कोई भी क़ानून मौजूद नहीं है। इस्लामी तहज़ीब वह अव्वलीन तहज़ीब है जिसने औरत को इन्सानी ज़िन्दगी के इज्तेमाई, अख़लाक़ी और क़ानूनी मसाएल में बावक़ार जगह इनायत फ़रमाई है। इस्लाम ने औरतों को समाज के एक मोअस्सिर हिस्से के तौर पर क़ुबूल किया है, जिसका सुबूत रसूलुल्लाह[स०] का मर्दों के साथ-साथ औरतों से भी बैअत लेना है जो बेहतरीन दलील है कि इस्लामी समाज में जो अहमियत मर्दों को हासिल है, वही औरतों को भी है और हिफ़ाज़ते इस्लाम के लिए जितनी मर्दों की ज़रूरत है उतनी ही औरतों की भी।

जिस वक़्त औरतें ज़ुल्मो सितम की चक्की में

पीसी जा रही थीं। दुनिया की सारी नाम नेहाद तहज़ीबें औरतों की मौजूद पस्त तुफ़ेली और इन्सानी दर्जा दोम के उनवानात से पहचनवा रही थीं। औरतों की ज़िन्दगी के हर रुख़ पर महरूमियत साया फेगन थी और उन्हें कहीं से भी उम्मीद की हल्की सी किरन नज़र नहीं आ रही थी। उस वक़्त इस्लाम का सूरज निकला, जिसने औरतों की ज़िन्दगी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक रौशन कर दिया। रसूले अकरम[स०] ने क़ुरआनी आयात के ज़रिये साबित फ़रमाया कि औरत मर्द ही की तरह एक मुकम्मल इन्सान बनने की भरपूर सलाहियत और तमाम इन्सानी करामात और कमालात के लिए शाइस्तगी की हामिल है। कई क़ुरआनी आयतों में इन्सान की अज़मत व शराफ़त का एलान है। आलमे हस्ती में इन्सान की अहमियत को बयान करते हुए क़ुरआन फ़रमाता है कि आसमान को इन्सान ही के लिए बलन्द किया गया है, ज़मीन को उसी के लिए फैलाया गया है, बादल उसी के लिए पानी बरसाते हैं, ज़मीन इसी इन्सान के लिए कई तरह की नेमतें पैदा करती है। चमकते हुए चाँद-सूरज और दरियाओं की उठने वाली मौजें सब इन्सानों के लिए बनाई गई हैं। रात का आराम देने वाला अन्धेरा और दिन का रौशन चेहरा इन्सान के लिए ही पैदा किया गया है। क़ुरआन मजीद में इरशादे रब्बानी है, तर्जुमाः "ये तो हमारी इनायत है कि हम ने बनी आदम को बुज़ुर्गी दी और उन्हें ख़ुशकी और तरी में सवारियों पर बिठाया है और उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है और अपनी मख़लूक़ात में से बहुत सों पर फ़ज़ीलत अता की है। (सूरा असराः 70) दूसरी जगह पर इरशाद हैः "क़सम है ज़ैतून और इन्जीर की और तूरे सीनीन की और उस अमन वाले शहर की, हमने इन्सान को बेहतरीन बनावट पर पैदा किया है।" यहाँ भी इन्सान से मर्द और औरत दोनों मुराद हैं। एक और जगह पर इरशाद हो रहा हैः "इन्सानो हम ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया फिर तुम में शाखें और क़बीले क़रार दिये ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से ख़ुदा के नज़दीक ज़्यादा मोहतरम वह है जो ज़्यादा परहेज़गार है।" (सूरा हुजरातः 13) आयते करीमा तक़्वा और परहेज़गारी को मेयारे इज़्ज़त क़रार दे रही है। इसमें औरत या मर्द की कोई क़ैद नहीं, जिसका दर्जा किरदार में ऊँचा है। चाहे वह मर्द हो या औरत, वह उस पर बरतरी रखता है जो तक़्वे में उससे कमतर है चाहे वह मर्द हो या औरत। इस मेयार के मुताबिक़ अगर कोई ख़ातून तक़्वे के मरतबे में ऊँची है तो वह उस मर्द पर बड़ाई रखती है जो तक़्वे के दर्जे में कमतर है।

क़ुरआन मजीद में 51 जगहों पर इन्सानी सआदत व कामयाबी का मेयार ईमान और अमले सालेह को क़रार दिया गया है, जिनमें कुछ जगहों पर सराहतन बयान किया गया है कि ये मेयार औरत व मर्द दोनों के लिए एक ही तरह है, "जो कोई भी नेक अमल अन्जाम दे चाहे वह मर्द हो या औरत और वह मोमिन भी हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िन्दगी अता करेंगे और उनके अमल से बेहतर उन्हें जज़ा देंगे।" (सूरा नहलः 79) दूसरी जगह इरशाद होता हैः "जो नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत इस हाल में कि ईमान वाला भी हो तो यह लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और वहाँ उन्हें बेअन्दाज़ा रिज़्क़ अता होगा (सूरा मोमिनः 40) इन तमाम आयात में सबसे रौशन और वाज़ेह आयत नीचे दी गई हैः "मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, असरपज़ीर दिल रखने वाले मर्द और ऐसी ही औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें, अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है बख़्शिश और अज्रो सवाब" (सूरा अहज़ाबः 35) यह सारी आयतें उस ज़माने में नाज़िल हुईं हैं जब दुनिया में अक्सर जगहों पर ख़ित्ता-ए-अरब भी शामिल था। यह ग़लत अक़ीदा राएज था कि अगर कोई औरत गुनाह करेगी तो गुनाह का अज़ाब उसकी गर्दन पर होगा और सज़ा भी मिलेगी,

लेकिन अगर कोई नेक काम करेगी तो उसका सवाब मर्द को मिलेगा क्योंकि औरत अपनी नीचता की वजह से किसी भी सवाब और बदले की हक़दार नहीं है। क़ुरआन मजीद ने इस ग़लत अक़ीदे की मुकम्मल नफ़ी फ़रमा दी है। ऊपर दी हुई क़ुरआनी आयतें मुकम्मल तौर से साबित करती हैं कि इस्लाम और क़ुरआन की निगाह में जो एक मर्द को कामिल इन्सान का दर्जा हासिल है, वही एक औरत को भी हासिल है।

क्योंकि बात क़ुरआन से मुताल्लिक़ है इसलिए एक ग़लतफ़हमी को दूर करना भी ज़रूरी है जो क़ुरआन मजीद ही की तरफ मन्सूब की जाती है और वह ये अक़ीदा है कि औरत जनाब आदम की बाईं पसली से पैदा की गई है जिसकी बुनियाद क़ुरआन मजीद की एक आयत को बनाया गया है जिसमें इरशाद है ''ऐ इन्सानो! लेहाज़ करो परवरदिगार का जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से और उसी से उसकी रफ़ीक़-ए-हयात को पैदा किया'' (सूरा निसाः 1) कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस आयते करीमा की तफ़सीर में लिखा है कि अल्लाह तआला ने हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की बाईं पसली से पैदा किया। इस तफ़सीर से ये ख़यालात पैदा हुए कि औरत एक मुस्तक़िल मख़लूक़ नहीं, वह पसली से पैदा हुई है जो टेढ़ी वाक़े हुई है और पसली भी बाईं तरफ़ की है। इस तरह औरत ज़ाती इस्तेक़लाल नहीं रखती है, इसलिए कभी सीधी नहीं हो सकती, अगर सीधा करने की कोशिश होगी तो टूट जाएंगी और चूँकि बाईं पसली से पैदा होती हैं इसलिए उससे सिधाई की कभी उम्मीद न रखनी चाहिए। कुछ शायरों ने इस सिलसिले में शेअ्र भी कह दिये हैं।

मिसाल के तौर पर निज़ामी गन्जवी का शेअरः-

ज़न अज़ पहलू-ए-चप शुद आफ़रीदा
कस अज़ चप रास्ती हरगिज़ न दीदा

चूँकि औरत उलटे हाथ की तरफ की पसली से पैदा हुई है इसलिए सही रास्ते पर चलने की उससे उम्मीद बेकार है, मगर मशहूर ईरानी आलिम अल्लामा तबातबाई ने तफ़सीरुल मीज़ान में इसी आयत की तफ़सीर फ़रमाई है कि जिस जिन्स से अल्लाह तआला ने हज़रत आदम को पैदा किया हज़रत हव्वा को भी उसी जिन्स से पैदा किया.....

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 9 अप्रैल 2010ई०)

(2)

तारीख़े इन्सानी में औरत एक ऐसी मख़लूक़ है जो हर ज़माने में नाइन्साफ़ी का शिकार रही है। मौजूदा ज़माना भी अलग नहीं है। वह कभी ज़हनी जुमूद की क़ैदी रही तो कभी नक़ली तरक़्क़ी की, कभी जाहिलियत की असीर रही तो कभी आज़ादी और हुक़ूक़े निस्वाँ के फ़रेब और खोखले नारों की। कभी ज़हनी पस्ती के जाल में फंसी तड़पती रही तो कभी उसकी गर्दन में जदीद तरक़्क़ीयाफ़्ता ग़ुलामी का तौक़ डाल दिया गया। ऐसी फ़रियादी रही है जिसकी कोई फ़रियाद सुनने वाला नहीं, ऐसी मुजरिम है कि जिसका कोई जुर्म नहीं। हमेशा क़ैदी रही और मज़लूम। पहले भी थी और आज की दुनिया में भी है।

हमें ये साबित करना है कि ये सिर्फ़ दीने इस्लाम और इलाही पैग़ाम क़ुरआन मजीद है, जिसने औरत को इन्सानी समाज में उसका असली मक़ाम अता किया है और क़ुदरत ने उसके वजूद में जो बेशुमार सलाहियतें अता फ़रमाई हैं, उनके मुताबिक़ उसे मरतबा बख़्शा है। गुज़िश्ता मज़मून में बयान हो चुका कि जहाँ-जहाँ क़ुरआन मजीद में इन्सान की अहमियत और अज़्मत का तज़किरा है, वहाँ औरत शामिल है। क़ुरआन मजीद की मुख़्तलिफ़ आयतों के जोड़ने से औरत की जो तस्वीर बनती है, वह एक इन्साने कामिल की है। वह मर्द ही की तरह इलाही नेमतों और इनायतों का मदारो महवर है। क़ुरआन मजीद के मुताबिक़ एक औरत में वह सारी इस्तेदाद और ज़रफ़ियत मौजूद है जो एक मर्द में है। कैसे मुमकिन है कि औरत एक नाक़िस मख़लूक़ हो, जबकि क़ुरआन मजीद में इलाही दावा है, तर्जुमाः ''अल्लाह वह है कि जो चीज़ बनाई बेहतरीन बनाई'' (सूरा सजदाः 7) एक और जगह इरशाद हैः तर्जुमाः ''तुम अल्लाह की मख़लूक़ में कोई बेनज़्मी या कमी नहीं पाओगे तो औरत अल्लाह की एक नाक़िस मख़लूक़ कैसे हो सकती है? जब अल्लाह तआला ने इन्सान को

ख़ल्क़ (कहा) तो खुद अपने को मुबारकबाद दी। इस मुबारकबाद में मर्दों के साथ औरतें भी शामिल हैं। खुलास-ए-कलाम ये है कि जिस तरह से एक मर्द निगाहे क़ुदरत में लायक़े फ़ख़्रे मख़लूक़ है, उसी तरह से एक औरत भी।

औरतों से मुताल्लिक़ जिन ग़लत अक़ीदों की निस्बत क़ुरआन मजीद की तरफ़ दे दी गई है उनमें से एक की तरफ़ गुज़िश्ता मज़मून में इशारा किया गया है कि औरत हज़रत आदम[अ०] की पसली से पैदा की गई है और पसली क्योंकि टेढ़ी होती है, इसलिए उसे भी सीधा नहीं किया जा सकता और ये हमेशा टेढ़ी रहेगी। दूसरा नज़रिया ये भी राएज है कि औरतें तबीअतन और फितरतन मक्कार और धोकेबाज़ होती हैं और इस नज़रिये की निस्बत भी क़ुरआन मजीद ही की तरफ़ की जाती है जो बिल्कुल ग़लत है। मशहूर शायर जामी का शेअ्र हैः-

दर जहाँ अज़ ज़न वफ़ादारी के दीद
ग़ैर मक्कारी व अय्यारी चे दीद

यानी (क्या कहीं दुनिया में किसी औरत को वफ़ादार देखा है। अगर देखा है तो मक्कार और धोकेबाज़ ही देखा है।)

इस बात को साबित करने के लिए कि औरतें पैदाईशी धोकेबाज़ और मक्कार होती हैं, क़ुरआन मजीद से दिलचस्प दलील दी गई है कि क़ुरआन मजीद ने औरतों के धोके के लिए कहा हैः ''कि तुम्हारा धोका बहुत बड़ा है'' (सूरा यूसुफ़ः 28) और शैतान के लिए क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है, तर्जुमाः ''कि शैतान का धोका कमज़ोर है'' (सूरा निसाः 76) नतीजा ये कि औरतों के धोके और बहानेबाज़ी शैतान से भी बढ़ी हुई है। इसके जवाब में पहली बात तो यह है कि औरतों के धोके को बड़ा अल्लाह ने नहीं फ़रमाया है, बल्कि क़ुरआन मजीद ने ज़ुलैख़ा के शौहर अज़ीज़े मिस्र का जुमला नक़्ल किया है। ज़ुलैख़ा और उसकी साथी औरतों की चालबाज़ियाँ देख कर अचानक उसकी ज़बान पर ये जुमला आ गया। दूसरी बात ये है कि जुमला ज़ुलैख़ा और उसकी साथी औरतों के बारे में है, न कि ज़माने की हर औरत मुराद है और शैतान का धोका कमज़ोर है, ये अल्लाह तआला का जुमला है, क्योंकि शैतान की मक्कारियाँ और चालें शैतान के मानने वालों की नज़र में लाख मज़बूत हों, मगर अल्लाह तआला और उसकी मदद और हिमायत के मुक़ाबले में कमज़ोर और बेकार हैं। इसलिए ये कहना कि क़ुरआन में अल्लाह तआला का फ़रमान है कि औरत का धोका शैतान से बढ़कर है, बिल्कुल ग़लतफ़हमी है।

एक और ग़ैर मुन्सिफ़ाना और ग़लत नज़रिया क़ुरआन मजीद की तरफ़ मन्सूब किया जाता है कि हज़रत आदम को शैतान ने नहीं बहकाया, बल्कि हज़रत हव्वा को शैतान ने बहकाया और हज़रत हव्वा ने आदम को बहकाया। पहले शैतान हज़रत आदम के पास गया था, मगर बहकाने में नाकाम रहा। हज़रत हव्वा को शैतान ने राज़ी कर लिया और अब हव्वा ने हज़रत आदम को मना किये गए पेड़ से फल खाने पर तैयार किया, इसलिए असल क़ुसूरवार हज़रत हव्वा हैं। दूसरे लफ़्ज़ों में औरत क़ुसूरवार है और हम ज़मीन पर जो भी झेल रहे हैं उसकी असल ज़िम्मेदार औरत है। मौलाना रूम ने कहाः

आँ चे आदम कशीदो अवलादश
कारे हव्वास्त आफ़रीं बादश

यानी (जो कुछ बनी नौअ आदम बर्दाश्त कर रहा है वह हव्वा के फेल का नतीजा है, आफ़रीन!)

पूरे क़ुरआन मजीद में कहीं ज़िक्र नहीं कि हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम को रोके गए पेड़ से फल खाने पर मजबूर किया था। ये बात असल में तौरेत में है जिसे क़ुर्आन मजीद की तरफ़ मन्सूब कर दिया जाता है। क़ुरआन मजीद ने आदम और हव्वा दोनों को क़ुसूरवार क़रार दिया है और फ़रमाया कि दोनों के दिलों में शैतान ने वसवसा पैदा किया। इसलिए क़ुरआन के लेहाज़ से जन्नत से निकलने की ज़िम्मेदारी दोनों पर है। ख़वातीन के सिलसिले में बदगुमानियाँ इस हद तक रही हैं कि इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली जैसी शख़सियत ने अपनी किताब ''नसीहतुल मुलूक'' में ये वाक़िआ तहरीर फ़रमा दिया कि किसी हकीम ने शादी के लिए शर्त रखी

कि औरत छोटे क़द की होनी चाहिए। लोगों ने वजह पूछी तो जवाब दिया कि औरत मुसीबत होती है और मुसीबत जितनी छोटी हो बेहतर है। अल्लाह तआला ने जिस औरत को रहमत और मुहब्बत का पैकर बनाया है, उसको मुसीबत गिना जा रहा है। इससे बड़ी नाइन्साफ़ी क्या हो सकती है। इन्साफ़ तो ये है कि हर कामयाब और बलन्द मरतबा मर्द की कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है, चाहे वह माँ हो, बीवी हो, या बहन हो।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 23 अप्रैल 2010ई०)

(3)

माहिरीने नफ़्सियात का कुल्लिया है कि अगर हालात हिम्मत तोड़ने वाले हों, माहोल ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती वाला हो, हर तरफ़ से ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती का सामना हो, नाइन्साफ़ी की फ़िज़ा में दम घुट रहा हो तो रूह टूट जाती है, कमतर होने का एहसास पैदा हो जाता है। फितरी सलाहियतें मुर्दा हो जाती हैं, लेकिन अगर माहौल ठीक-ठाक हो, हालात हिम्मत बढ़ाने वाले हों, दिल बढ़ाने वाले हों तो बेशुमार फितरी सलाहियतें उभर आती हैं और छुपी हुई ख़ूबियाँ सामने निकल कर आती हैं। दीने इस्लाम ने यही कारनामा अन्जाम दिया है। इस्लाम से पहले औरतें दबी-कुचली थीं मगर जब इस्लाम ने ख़वातीन को इज़्ज़त और करामत अता फ़रमाई, उनकी हिम्मत बढ़ाई गई उनके लिए तरक़्क़ी का लम्बा चौड़ा चमकता आसमान सामने लाया गया, तो उनकी छुपी हुई ख़ूबियाँ उभर कर सामने आईं और उन्होंने वह कारनामे अन्जाम दिये कि इन्सानियत हैरतज़दा रह गई।

यहाँ पर रिसालत में ज़माने की कुछ औरतों का तज़किरा ज़रूरी है (उन औरतों का तज़किरा छोड़ा जा रहा है जिनके बारे में सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। जैसे रसूले अकरमस० की चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरास० और उम्महातुल मोमिनीन वग़ैरा) जिनमें एक सहाबिया हज़रत अस्मारज़ि० हैं। उन्होंने मदीने की बहुत से औरतों के साथ रसूलुल्लाहस० के हाथों पर बैअत की थी। ये औरत अक़्ल, समझ और ख़िताबत के लेहाज़ से अपना अलग दर्जा रखती थीं। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने इनके लिए लिखा है कि अक़लमन्दी और दीनदारी में इनका ऊँचा मक़ाम था। इनके ज़ोरे ख़िताबत की वजह से इनका लक़ब था ख़तीबतुन्निसा। इनका एक वाक़िआ बहुत मशहूर है कि मदीने की औरतों ने इनको अपना नुमाइन्दा बनाया था कि उनके हुक़ूक़ के बारे में रसूलुल्लाहस० से पूछा करें। हज़रत अस्मारज़ि० ने बज़्मे रिसालत में पहुँच कर औरतों की घर के अन्दर की ख़िदमतों और परेशानियों से मुताल्लिक़ ऐसी फ़सीह व बलीग़ तक़रीर की कि पूरी बज़्म में सन्नाटा छा गया। रसूले अकरमस० ने हज़रत अस्मारज़ि० का जवाब देने के लिए सहाब-ए-केरामरज़ि० की तरफ़ रुख़ करके सवाल फ़रमाया 'क्या तुम ने किसी औरत की इससे ज़्यादा फ़सीह व बलीग़ तक़रीर सुनी है? (जगह की कमी के कारण तक़रीर पेश नहीं की जा रही है) तमाम सहाबारज़ि० ने एक ज़बान होकर फ़रमाया कि हमने आज तक किसी औरत से ऐसी फ़सीह व बलीग़, जामे और रसा गुफ़्तगू नहीं सुनी। इसके बाद रसूले अकरमस० ने ख़वातीन के हुक़ूक़ और निगाहे क़ुदरत में उनकी क़द्रो मंज़िलत बयान फ़रमाकर उस इन्तेहाई अक़्लमन्द और खुशबयान ख़ातून को मुतमइन फ़रमा दिया और जब वह ख़ातून वापस पलटीं तो आँखों में ख़ुशी के आँसू और ज़बान पर नार-ए-तकबीर था। इसी ख़ातून ने जंगे यरमूक में अजीब व ग़रीब शहामत का मुज़ाहेरा किया था। वह उन ख़वातीन में थीं, जिनका काम मुजाहिदीन को खाना पानी पहुँचाना और ज़ख़्मियों के मरहम पट्टी करना था, घमासान के जंग में जब पूरा लश्करे इस्लाम ईसाईयों के लश्कर के मुहासरे में आ गया तो हज़रत असमारज़ि० ने अपने ख़ेमे की लकड़ी से दुश्मनों पर हमला कर दिया और 9 रूमी सिपाहियों को वासिले जहन्नम कर दिया।

(इसाबा, जिल्द-2, पेज-235)

नमूने के तौर पर एक और ख़ातून का तज़किरा किया जा रहा है, जिनका नाम नुसीबा अन्सारीरज़ि० था। उन्होंने बैअते उक़बा दोम में मर्दों के साथ-साथ रसूले अकरमस० से बैअत फ़रमाई थी। खुद बयान फ़रमाती हैं कि मेरा काम मुसलमान सिपाहियों के लिए पानी ले जाना

था। जब जंगे ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई तो वह कहती हैं कि मैंने अपने को रसूल[स०] के क़रीब पहुँचाया और मश्क को फेंक कर तलवार और तीर कमान लेकर जंग शुरु कर दी और उस जंगे ओहद में बहुत से ज़ख़्म मेरे जिस्म पर लगे। उनकी गर्दन पर जंग में लगे एक गहरे ज़ख़्म का निशान आख़िर उम्र तक था। इस जंग में नुसीबा[रज़ि०] का बेटा मैदान छोड़ने लगा तो अपने बेटे की हिम्मत बंधाई और भागने से रोका। यहाँ तक कि उनके बेटे को एक मुश्रिक ने शहीद कर दिया। माँ ने बेटे ही की तलवार उठाकर क़ातिल को अपने हाथ से वासिले जहन्नम कर दिया। इन औरत को रसूलुल्लाह[स०] ने सनद अता फ़रमाई थी कि नुसीबा[रज़ि०] ने बहुत से मर्दों से ज़्यादा बहादुरी और फ़िदाकारी का मुज़ाहेरा किया है। यही नुसीबा थीं कि रसूलुल्लाह[स०] की ख़िदमत में पहुँचकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल[स०] क्या बात है कि सारे इम्तियाज़ात मर्दों के लिए ख़ास हैं? औरतों का तज़किरा बहुत कम होता है, क्या हम औरतों को कोई मरतबा हासिल नहीं है, उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई (तर्जुमा) ''यक़ीनन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मानने वाले हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदक़ा देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा बदला तैयार करके रखा है। (सूरा अहज़ाबः 35)

जिस ज़माने का और जिस ख़ित्त-ए-अरब का तज़किरा हो रहा है, वहाँ औरत ज़ात ही ज़लील और रुसवा थी न कि वह औरत जो कनीज़ हो और वह भी हबश की काली औरत? मगर इस्लाम ने वह ज़हनी इन्क़ेलाब पैदा कर दिया कि ज़लील तरीन समझी जाने वाली कनीज़ों के ज़हनों से भी कमतरी का एहसास मिट गया और वह मैदाने इल्मो अख़लाक़ और मानवियात की क़हरमान बन गईं। ऐसी औरतों में बलन्द तरीन नाम हज़रत फ़िज़्ज़ा[अ०] का है। जो ख़ानदाने रिसालत के घर की कनीज़ थीं, जिनको रसूलुल्लाह[स०] ने अपनी चहीती बेटी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा[स०] को अता फ़रमाया था। उनका शुमार बलन्द पाया रावियाने हदीस में है। उनकी क़ुरआनी समझ इतनी ज़बरदस्त थी कि बरसों सिर्फ़ क़ुरआन मजीद की आयतों के ज़रिये बातचीत करती रहीं। सिर्फ़ इसी एक मिसाल से मुकम्मल तौर पर साबित होता है कि दौरे रिसालत में मर्दों की तरह औरतों को भी चाहे वह कनीज़ ही क्यों न हों इल्म और समझदारी हासिल करने के बराबर मौक़े दिये जाते थे वह भी मर्दों ही की तरह इल्मो कमाल की बलन्दियों पर पहुँच गई थीं। ज़ाहिर है कि यहाँ ज़मान-ए-रिसालत की ख़वातीन की मुकम्मल तारीख़ लिखना मक़सूद नहीं है, लेकिन बेमिसाल फ़िदाकारी और बेनज़ीर जाँबाज़ी का मुज़ाहेरा करने वाली कुछ औरतों का तज़किरा ज़रूरी था। ऐसी औरतों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चुनना मुश्किल नज़र आ रहा है। ये ज़्यादती ख़ुद इस बात की रौशन दलील है कि ये कोई इत्तेफ़ाक़ी मामला न था, बल्कि माहोल ऐसा बन गया था कि औरतों को खुलकर अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौक़ा मिल गया और मर्दों ही तरह बलन्द तरीन दर्जों पर पहुँच गईं। इन ही में एक हैरत अंगेज़ शख़सियत का नाम उम्मे सलीम है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास[रज़ि०] जैसी शख़सियत को उनका शार्गिद लिखा है। अगर इस बात को न भी माना जाए तब भी वह रावियाने हदीस में बुलन्द मक़ाम पर थीं। उन्होंने अपने बेटे हज़रत अनस[रज़ि०] को रसूलुल्लाह[स०] की ख़िदमत के लिए हदिया कर दिया था। ज़ैद इब्ने सहल अन्सारी ने जब वह हालते कुफ़्र में थे उम्मे सलीम से शादी की दरख़्वास्त की और मेहर की सूरत में एक बड़ी रक़म का वादा किया तो इस वसीउल क़ल्ब मोमिना ने कहा कि मैं मेहर में दिरहम व दीनार नहीं चाहती, मेरा मेहर सिर्फ़ इतना है कि ज़ैद इब्ने सहल मुसलमान हो जाएं। ज़ैद ने यह बात क़ुबूल कर ली और मुसलमान हो गए। इस वाक़िए से उस मोमिना की बुलन्द किरदारी और आली ज़रफ़ी का अन्दाज़ा हो सकता है।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) 7 मई 2010[ई०])